

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बर्डजलास-कुमार पाल गौतम,आई.ए.एस

राजस्व गुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या -70/2017

प्रार्थी
शमीम बानों बेवा मोहम्मद सलीम
जाति रंगरेज मुसलमान निवासी
डीडवाना

बनाम

अप्रार्थीगण

1. फतेह मोहम्मद पुत्र फेजू खां
2. शौकत पुत्र फेजू खां
3. फूल मोहम्मद पुत्र फेजू खां
4. श्रीमति जाहिदा बेवा गुलाम दस्तगीर
समस्त जाति फकीर निवासी मुस्तफा
कॉलोनी, साल्ट रोड, डीडवाना तहसील
डीडवाना जिला नागौर
5. सलमा पत्नि मोहम्मद हुसैन पुत्री फेजू खां
6. रूकइया पत्नि अब्दुल जब्बार पुत्री फेजू खां
समस्त जाति फकीर निवासी मीठडी तहसील
नावां जिला नागौर
7. मोहम्मद इकबाल पुत्र अब्दुल रजाक
8. मोहम्मद रफीक पुत्र अब्दुल रजाक
9. अब्दुल सतार पुत्र अब्दुल रजाक
सभी जाति साईं मुसलमान निवासी बस
स्टेण्ड के पास, डीडवाना तहसील डीडवाना
जिला नागौर
10. मजीद खां पुत्र लोडू खां
11. मोहम्मद उस्मान पुत्र लोडू खां
12. मोहम्मद सलीम पुत्र लोडू खां
13. युसुफ खां पुत्र लोडू खां
14. बाउ बानों पत्नि लोडू खां
जाति देशवाली मुसलमान निवासी खुनखुना
तहसील डीडवाना जिला नागौर
15. फरीद पुत्र पीर खां
16. फातमा पुत्री पीर खां
17. सुवा पुत्री पीर खां
18. रहमत पुत्री पीर खां
19. छोटी पुत्री पीर खां
20. जना पत्नि पीर खां
जाति देशवाली मुसलमान निवासी खुनखुना
की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर
21. अब्दुल हमीद पुत्र मोहम्मद युसुफ देशवाली
मुसलमान निवासी गरदेज्या बासनी तहसील
डीडवाना जिला नागौर
22. बाबु खां वेगाना पुत्र गफूर खां कायमखानी
निवासी वेगाना कॉलोनी डीडवाना तहसील
डीडवाना जिला नागौर
23. अधिशाधी अधिकारी, नगरपालिका डीडवाना
जिला नागौर
24. तहसीलदार डीडवाना

कुलक्टर, नागौर



25. सहायक कलक्टर एवं एसडीओ डीडवाना
जिला नागौर

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री कन्हैयालाल सुथार।
2. अप्रार्थी संख्या 1,2,3,5 व 6 की ओर से वकील श्री चन्द्रशेखर, अप्रार्थी संख्या 24 व 25 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा, अप्रार्थी संख्या-23 की ओर से वकील श्री मोहम्मद शाहिद।

आदेश

दिनांक - 29-10-2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) डीडवाना के न्यायालय में लम्बित राजस्व वाद संख्या 87/2015 एवं राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या-79/2015 शमीम बानों बनाम फतेह मोहम्मद वगैरह को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुक्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी। अप्रार्थी संख्या 8 से 20, 21 व 22 ने हस्तगत प्रकरण में न्यायिक कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा एक वाद वास्ते बंटवाडा घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 24 के विरुद्ध खेत खसरा नम्बर 1014 मौजा डीडवाना के संबंध में जून 2015 में सहायक कलक्टर एवं एसडीओ डीडवाना के समक्ष पेश किया, जिसके वाद संख्या 87/2015 है तथा उक्त वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र पेश किया, जिसके प्रकरण संख्या 79/2015 है। इन दोनों ही प्रकरण की तारीख पेशी दिनांक 14.12.2017 को तय है। इस प्रकरण में विवादित खेत खसरा नम्बर 1014 की भूमि 26 बीघा 05 बिस्वा सरहद मौजा डीडवाना में स्थित है, इस भूमि का मूल खातेदार रजाक, गनी, फेजू खां, गुलाम रसूल पुत्रगण मुस्ताक जाति फकीर की बहिस्सा बराबर थी, यानि इन चारों की प्रत्येक की 1/4 हिस्सा भूमि थी। फेजू ने अपना 1/4 हिस्सा भूमि 6 बीघा 11 बिस्वा रकबा वादी को जरिये बेचान कर रजिस्ट्री के बेचान कर दिया तब से वादी उस पर काबिज है।

इस खसरा नम्बर 1014 की भूमि को एसडीओ डीडवाना ने पूरा रकबा नगरपालिका डीडवाना के नाम दर्ज करने का आदेश धारा 90बी लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कर दिया, ऐसी दशा में रकबा नगरपालिका डीडवाना के म्युटेशन संख्या 2661 दिनांक 08.10.2003 को दर्ज कर दिया गया। वाद में उक्त एसडीओ डीडवाना का आदेश संभागीय आयुक्त ने दिनांक 23.02.2010 को निरस्त कर दिया गया है। ऐसी दशा में राजस्व रिकॉर्ड नगरपालिका डीडवाना के नाम से हुआ इन्द्राज शून्य प्रभावी है। ऐसी दशा में वादी का वादग्रस्त भूमि में फेजू खां की 1/4 भाग भूमि क्रयसुदा होने से वादी उसकी खातेदारी हक अधिकार को प्राप्त करने व इस बाबत निषेधाज्ञा पाने का हकदार है। प्रकरण में कानून अनुसार वांछित कार्यवाही सहायक कलक्टर एवं एसडीओ डीडवाना नहीं कर पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करने पर तुला हुआ होने से यह ट्रांसफर अर्जी पेश की है।

अदालत मातहत सहायक कलक्टर एवं एसडीओ डीडवाना कानून अनुसार कार्यवाही नहीं कर कानूनी प्रावधानों से परे जाकर अपनी मनमर्जी माफिक आदेश करने पर तुला हुआ है ऐसी दशा में मुझ प्रार्थी को न्याय मिलने की कोई सम्भावना नहीं है, ऐसी दशा में प्रकरण अन्य अदालत में ट्रांसफर किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थी फूल मोहम्मद का रोजाना सहायक कलक्टर एवं एसडीओ डीडवाना के साथ उठना बैठना है। रोजाना उसके घर पर आता जाता रहता है तथा उक्त फूल मोहम्मद के अनुचित प्रभाव



में है, ऐसी दशा में मुझ प्रार्थी को सहायक कलक्टर एवं एसडीओ डीडवाना से न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं है। मेरा पुत्र अब्दुल सलाम जो दिनांक 16.11.2017 को पेशी पर मेरे वकील से मिलने वहां कचहरी डीडवाना में खड़ा था, तब फूल मोहम्मद सहायक कलक्टर डीडवाना के चेम्बर में से बाहर आया व मेरे पुत्र अब्दुल सलाम को ऐलानियां बताया कि उसने साहब से बात कर ली है फैसेला उसके पक्ष में करना तय है, ऐसी दशा में मेरा सहायक कलक्टर एवं एसडीओ डीडवाना से विश्वास उठ गया है, मुझे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, ऐसी दशा में प्रकरण अन्य अदालत में ट्रांसफर किया जाना न्याय हित में व न्याय पूर्ण फैसले के लिए वांछित है।

दिनांक 20.09.2017 को उक्त फूल मोहम्मद ने एक अर्जी पेश कर सहायक कलक्टर एवं एसडीओ डीडवाना से निवेदन किया कि खेत खसरा नम्बर 1014 रकबा 26 बीघा 05 बिस्वा के 1/4 हिरसो की खातेदारी नगरपालिका डीडवाना से हटाकर फेजू खां के स्थान पर वारिसान प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज करने की आज्ञा दिलावे, जिस पर बिना कोई जांच पडताल किये ही न्यायालय के आदेश की पालना करने का लिख दिया, जबकि फेजू खां ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में बेचान कर दिया था, ऐसी दशा में फूल मोहम्मद को फेजू खां के वारिसान के नाम रिकॉर्ड बनवाने का कोई हक ही नहीं रहा है। इस वजह से भी यह प्रकट है कि सहायक कलक्टर एवं एसडीओ डीडवाना फूल मोहम्मद के प्रभाव में है तथा दावा चलने के दौरान ऐसे आदेश दिया जाना पूर्ण रूप से विधि विरुद्ध है। इस वजह से हमें सहायक कलक्टर एवं एसडीओ डीडवाना पर विश्वास नहीं हो रहा है कि वह न्याय पूर्ण कार्यवाही करेगा। इस वजह से प्रकरण अन्य न्यायालय में ट्रांसफर किया जाना न्याय हित में होने का कथन करते हुए राजस्व वाद संख्या 87/2015 व राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 79/2015 अनवान शमीम बानों बनाम फतेह मोहम्मद वगैरह को सहायक कलक्टर एवं एसडीओ डीडवाना के न्यायालय से अन्य अदालत में ट्रांसफर किये जाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार कुन्दसिंह आचीणा ने अपनी बहस में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य काल्पनिक, मिथ्या एवं आधारहीन होने का कथन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी श्री चन्द्रशेखर ने वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रकरण में अधिनरथ न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्रकरण के सभी पक्षकारान की विधिवत सुनवाई करते हुए प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने का कथन करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी श्री मोहम्मद शाहिद ने अपनी बहस में मुख्यतः कथन किया कि खसरा नम्बर 1014 नगरपालिका डीडवाना के नाम दर्ज करने का आदेश 90 बी लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कर दिया था। म्यूटेशन संख्या 2661 दिनांक 08.10.2003 को दर्ज कर दिया गया था। एस.डी.ओ. साहब डीडवाना का आदेश संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 23.10.2010 को निरस्त कर दिया गया, जिसमें वापिस खातेदारों की खातेदारी दर्ज हो गई तथा नगरपालिका के नाम से रिकार्ड शून्य हो गया। उक्त प्रकरण में नगरपालिका डीडवाना की कोई हिरसेदारी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 एवं 3(1), 3(2), 3(3) एवं 4 को गलत होने का कथन करते हुए अस्वीकार किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में विवादित खेत खसरा नम्बर 1014 की भूमि में से फेजू ने अपना 1/4 हिस्सा भूमि 6 बीघा 11 बिस्वा रकबा प्रार्थी को जरिये बेचान कर रजिस्ट्री के बेचान कर दिया। इस खसरा नम्बर 1014 की भूमि को एसडीओ डीडवाना ने पूरा रकबा नगरपालिका डीडवाना के नाम दर्ज करने का आदेश धारा 90बी लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कर दिया, ऐसी दशा में रकबा नगरपालिका डीडवाना के म्यूटेशन संख्या 2661 दिनांक 08.10.2003 को दर्ज कर दिया गया। तत्पश्चात एसडीओ डीडवाना का उक्त आदेश संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 23.02.2010 को निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें रिमाण्ड कर मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपीलान्त को सुनवाई का अवसर देने एवं मौका पर जिस क्षेत्र में प्लाटिंग की गई है अर्थात् अकृषि कार्य



किये गये हैं, उस भूमि को धारा-90 वी के तहत निर्णय में वर्णित प्रक्रिया अपनाकर पुनर्ग्रहण की कार्यवाही करने तथा शेष भूमि जो कृषि कार्य में उपयोग ली जा रही है उसे खातेदार के नाम दर्ज करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

प्रकरण में वकील प्रार्थी का कथन कि दिनांक 20.09.2017 को उक्त फूल गोहम्मद ने एक अर्जी पेश कर सहायक कलक्टर एवं एसडीओ डीडवाना से निवेदन किया कि खेत खसरा नम्बर 1014 रकबा 26 बीघा 05 बिस्वा के 1/4 हिस्सो की खातेदारी नगरपालिका डीडवाना से हटाकर फेजू खां के स्थान पर वारिसान प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज करने की आज्ञा दिलावे, जिस पर बिना कोई जांच पडताल किये ही न्यायालय के आदेश की पालना करने का लिख दिया, जबकि फेजू खां ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में बेचान कर दिया था, ऐसी दशा में फूल गोहम्मद को फेजू खां के वारिसान के नाम रिकॉर्ड बनवाने का कोई हक ही नहीं रहा है। वकील प्रार्थी के उक्त कथन के खण्डन में अप्रार्थी फूल मोहम्मद के अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर द्वारा ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, जिससे यह साबित हो कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा श्रीमान् संगीगीय आयुक्त महोदय के आदेश की पालना में किसी प्रकार का गौका रिपोर्ट आदि तैयार की गई हो। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि पर मालिकाना हक के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारान के गध्य वाद विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति में फूल मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत अर्जी दिनांक 20.09.2017 के संबंध में समग्र तथ्यों के मध्य नजर विधि सम्मत कार्यवाही की जानी चाहिए थी। यद्यपि उक्त तथ्य प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के उक्त आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील/निगरानी आदि के हो सकते हैं, परन्तु उक्त तथ्य न्यायिक प्रक्रिया अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में सन्देह अवश्य उत्पन्न करते हैं। उपखण्ड अधिकारी डीडवाना ने भी अपनी पैरावाईज टिप्पणी में उक्त तथ्यों के संबंध में कोई विशेष तार्कीक कथन नहीं किये हैं, केवल नियमानुसार प्रकरण में कार्यवाही करने तथा पत्रावली अन्य न्यायालय को भिजवाई जाने में एतराज नहीं होने का कथन किया गया है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी ने यह भी कथन किया है कि अदालत मातहत सहायक कलक्टर एवं एसडीओ डीडवाना कानून अनुसार कार्यवाही नहीं कर कानूनी प्रावधानों से परे जाकर अपनी मनमर्जी माफिक आदेश करने पर तुला हुआ है। ऐसी दशा में प्रार्थी को न्याय मिलने की कोई सम्भावना नहीं है। अप्रार्थी फूल गोहम्मद का रोजाना सहायक कलक्टर एवं एसडीओ डीडवाना के साथ उठना बैठना है। रोजाना उसके घर पर आता जाता रहता है तथा उक्त फूल मोहम्मद के अनुचित प्रभाव में है, ऐसी दशा में प्रार्थी को सहायक कलक्टर एवं एसडीओ डीडवाना से न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं है। प्रार्थी का पुत्र अब्दुल सलाम जो दिनांक 16.11.2017 को पेशी पर अपने वकील से मिलने वहां कचहरी डीडवाना में खडा था, तब फूल मोहम्मद सहायक कलक्टर डीडवाना के चेम्बर में सें बाहर आया व मेरे पुत्र अब्दुल सलाम को ऐलानियां बताया कि उसने साहब से बात कर ली है फौसला उसके पक्ष में करना तय है, ऐसी दशा में मेरा सहायक कलक्टर एवं एसडीओ डीडवाना से विश्वास उठ गया है, गुडो न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। वकील प्रार्थी के उक्त कथनों के खण्डन स्वरूप भी वकील अप्रार्थीगण द्वारा कोई लिखित जबाब पेश नहीं किया गया एवं न ही दौराने बहस वकील प्रार्थी के उक्त कथनों के खण्डन में कोई तार्कीक कथन किये गये हैं। वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में संबंध में प्रार्थी का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वकील प्रार्थी का कथन कि उन्हे अधिनस्थ न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, को बल मिलता है। ऐसी स्थिति में न्याय हित में अतिरिक्त प्रकरण में प्रश्नगत राजस्व वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्यत्र सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी को अंतरित किया जाना उचित पाते हैं।


अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 87/2015 एवं राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या-79/2015 अनवान शमीम बानों बनाम फतेह गोहम्मद वगैरह प्रकरणों को आगामी सुनवाई हेतु



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के न्यायालय से सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के न्यायालय में अन्तरित किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी डीडवाना से प्राप्त उक्त राजस्व वाद एवं प्रार्थना पत्र की मूल पत्रावलियां पुनः उनको लौटाई जावे। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उक्त दोनों मूल पत्रावलियां प्रकरणों में आगामी सुनवाई कार्यवाही हेतु अविलम्ब सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मेड़ता को भिजवावें। आदेश की प्रति सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी डीडवाना एवं मेड़ता को भिजवाई जावे।

आदेश सुनीया गया।




(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर